99 रिज़्क हलाल व हराम

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़ें अल्लाह तआला के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं।

अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर आपकी आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर।

व बअद!

रिज़्क देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है:– हमें मुसलमान होने के नाते इस बात पर यक़ीन होना चाहिये कि अल्लाह तआला ही रिज़्क़ देने वाला है उसके अलावा किसी के पास यह ताक़त नहीं कि वह किसी को रिज़्क दे सके। इर्शादे बारी तआला है "ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं, जिसका रिज़्क़ अल्लाह कि ज़िम्मे न हों।" **(हूद–आयत–06)**
"आस्मान में तुम्हारा रिज़्क़ है और वह भी जिसका तुम से वादा किया जाता है।" **(ज़ारियात–आयत–22)**
"अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया। फिर तुम्हें मारेगा और फिर ज़िन्दा करेगा।"**(रूम–आयत–40)**
"कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके ख़ज़ाने हमारे पास न हों। हम उसे एक मालूम मिक़दार के मुताबिक़ ही उतारते हैं।"-**(हिज्र–आयत–21)** और "जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, तुम्हें रिज़्क देना उनके बस में नहीं हैं। लिहाज़ा तुम अल्लाह ही से रिज़्क़ मांगो। उसी की इबादत करों और उसका शुक्र अदा करो। तुम उसी की तरफ़ ही लौटाए जाओंगें।" **(अन्कबूत–आयत–17)**

मालूम हुआ कि लोग जिन्हें अल्लाह के अलावा पुकारते हैं और उन्हें जिन नामों जैसे दाता, गरीब नवाज़ व दस्तगीर वग़ैरह से पुकारते है। हक़ीक़त में उनके बस में कुछ भी नहीं है बल्कि खुद वो सब अल्लाह ही के मोहताज थे और अल्लाह अकेला ही उन्हें, उनकी औलाद और सारे लोगों को रिज़्क देने वाला है।

रिज़्क पाने के लिए कोशिश व मेहनत करना:–

इर्शादे बारी तआला है "उसकी रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात व दिन को बनाया। ताकि तुम (रात में) सुकून हासिल करो और (दिन में) उसका रिज़्क तलाश करो।" **(क़सस–आयत–73)** "वही है जिसने ज़मीन को नर्म करके तुम्हारे लिए काम में लगा दिया। ताकि इसके रास्तों पर चल फिर सको और अल्लाह का रिज़्क़ खाओ।"**(मुल्क–आयत–15)** "फिर जब नमाज़ अदा हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क तलाश करो।" **(जुमआ–आयत–10)** और फ़रमाने रसूल सल्ल. है "किसी शख़्स ने कभी उस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं खाया जो वह अपने हाथ की कमाई से खाता हो।" **(बुख़ारी–2072)** "तुम्हारे खाने में सबसे अच्छी चीज़ वह है जिसे तुम खुद कमाओ और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई है।" **(इब्ने माजा–2290 & मुसनद हुमैदी–248–सही)** और यह कि "तुम में

से कोई शख़्स अपनी पीठ पर लकड़ियों का गठ्ठा उठा कर लाए तो यह उसके लिए बेहतर है, इससे कि वह किसी के आगे हाथ फेलाए और वह उसे दे या न दे।" (बुख़ारी–2047)

हराम कमाई एक संगीन जुर्म

हराम व नाजाइज़ तरीकों से माल कमाना गुनाह है। क्योंकि इर्शादे बारी तआला है "ऐ ईमान वालो! अपने आपस के माल नाजाइज़ तरीके से मत खाओ। हां तुम्हारी आपस की रज़ामन्दी से ख़रीद फ़रोख़्त हो।" (निसा–आयत–29) "एक दूसरे का माल ना जाइज़ तरीके से मत खाओ और न ही हाकिमों को रिश्वत देकर किसी का माल नाहक़ हड़प करो।" (बक़रह–आयत–188)

आइये अब जानते हैं हराम व न जाइज़ कामों व कमाई के बारे में

(1) चोरी करना:– किसी का माल चुराना हराम है और इस जुर्म की सज़ा भी सख़्त है। इर्शादे बारी है "चोरी करने वाले मर्द व चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दिया करो। यह बदला है उसका जो उन्होंने किया और अज़ाब है अल्लाह की तरफ़ से" (माइदा–38) कुछ लोग मुसाफ़िरों की जेबें काट लेते हैं या कोई नशेदार चीज़ ख़िलाकर या उन्हें बेहोश करके उनके कीमती सामान उड़ा लेते हैं तो कोई हाथ की सफ़ाई से किसी का पर्स मार लेता है या कोई किसी की चीज़ कम क़ीमत की समझ कर उसकी इजाज़त के बिना अपने पास रख लेता है। यह सब चोरी की ही में क़िस्में है। इस बारे में रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "चोर पर अल्लाह की लअनत हो जो एक अन्डा चुराता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। फिर एक रस्सी चुराता है। तो अपना (दूसरा) हाथ भी कटवा देता है।" (बुख़ारी–6783 & मुस्लिम–4408&नसई–4877&इब्ने माजा–2583)

(2) डाका डालना:– कुछ लोग दिन दहाड़े किसी के घर या दुकान में हथियारों के साथ पहुंचते हैं और हथियार की नोक पर लूट–मार करते हैं तो कोई चलती बस या रेल में हथियारों की मदद से मुसाफ़िरों के माल को हथिया लेते हैं। इसी को डाका डालना कहते हैं। इर्शादे बारी है "जो लोग अल्लाह से और उसके रसूल (सल्ल.) से जंग करते और ज़मीन में फ़साद फैलाने की कोशिश करते हैं। उनकी सज़ा यही हो सकती है कि उन्हें तक्लीफ़ दे कर कत्ल किया जाए या सूली पर लटकाया जाए या उनका एक तरफ़ का हाथ व दूसरी तरफ का पैर काट दिया जाए या उन्हें जिला वतन कर दिया जाए। यह सज़ा तो दुनिया में है और आख़िरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है।" (माइदा–आयत–33)

(3) जुआ व सट्टा खेलना:– कुछ लोग जुए व सट्टे के ज़रिये पैसा कमाते हैं तो कोई रातों रात करोड़ पति बनने के लिए अपनी पूंजी किसी लाटरी के हवाले कर देता है। कोई बैंक में फ़िक्स डिपोज़िट करके अपनी रकम दुगुनी करता है तो कोई जीवन बीमा के ज़रिये अपने बाद वालों का मुस्तक़बिल (भविष्य) सुधारना चाहता है और यह भूल जाता है कि सट्टे व जुए की सारी शक्लें हराम हैं। फ़रमाने बारी तआला है "ऐ ईमान वालों। बात यह है कि शराब, जुआ, वह स्थान जहां ग़ैरुल्लाह के लिए जानवर ज़िब्ह किये जाते हैं और फ़ाल निकालने के तीर (यह सब) नापाक व हराम हैं और शैतान के काम हैं। तुम इनसे बचो ताकि कामयाबी पाओ।" (माइदा–आयत–90)

(4) सूदी लेन–देन करना:– अल्लाह ने न सिर्फ़ यह कि सूद को हराम

कहा बल्कि बद तरीन जुर्म व गुनाह क़रार दिया और फ़रमाया "ऐ ईमान वालो। अल्लाह से डरो और जो सूद बाक़ी रह गया है, उसे छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह से और उसके रसूल (सल्ल.) से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हां अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है। न तुम ज़ुल्म करो और न तुम पर ज़ुल्म किया जाए।" (बक़रह–आयत–278–279) "जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इस तरह खड़े होंगें जैसे किसी को शैतान ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो यह इसलिए कि यह कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद की तरह है। हांलाकि तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया और सूद को हराम क़रार दिया है। बस जिस तक उसके रब की नसीहत पहुंच जाए वोह सूद खाना छोड़ दे। पहले जो हो चुका सो हो चुका अब जो कोई सूद खाए तो ऐसे लोग दोज़ख़ी हैं वहां वो हमेशा रहेंगे।" **(बक़रह–आयत–275)**

सूद से माल बज़ाहिर बढ़ता नज़र आता है मगर "अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है और वह किसी ना शुक्रे व गुनाहगार से मुहब्बत नहीं करता।" **(बक़रह–आयत–276)**

अल्लाह के रसूल सल्ल. का इर्शाद है "अल्लाह की लअनत हो सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, उसके गवाह पर और उसके लिखने वाले पर।" **(मुस्लिम–4093 & तिर्मिज़ी–1069 & अबुदाऊद–3333)** और यह कि "जानते हुए सूद का एक दिरहम खाना अल्लाह के नज़दीक 36 दफ़ा ज़िना करने से ज़्यादा बुरा है।" **(सिलसिला अहादीस सहीहा–1033)** "कोई शख़्स चाहे कितना ही सूद ले ले। उसका अन्जाम (माल में) कमी और नुक़्सान ही होगा।" **(इब्ने माज़ा–2279–सही)**

(5) झूटी क़सम खाकर किसी का माल हड़पनाः– रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "जिस शख़्स ने झूटी कसम इसलिए खाई ताकि किसी मुसलमान का माल हड़प ले तो वह क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उससे नाराज़ होगा।" **(बुख़ारी–2673 & मुस्लिम–355 & तिर्मिज़ी–1128)**

और यह कि "माल को क़सम खाकर बेचने से बचो। क़सम खाने से पहले तो माल चलता बनता है, फिर उसकी बरकत भी जाती रहती है।" **(इब्ने माज़ा–2209)**

(6) नाप–तौल में कमी करनाः– यह भी चोरी ही की एक शक्ल हैं नाप तौल के बारे में इर्शादे बारी है "नाप–तौल पूरा पूरा किया करो।" **(आराफ़–85 & अनआम–152)** "नाप–तौल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीज़े कम मत दो।" **(हूद–आयत–85)** "जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो और सीधी तराज़ू से तौला करो।" **(इस्रा–आयत–35)** "नाप तौल पूरा किया करो और कम देने वालों में से मत बनो।" **(शोअरा–आयत–182)** "इन्साफ़ के साथ वज़न को ठीक रखों और कम तौल कर मत दो।" **(रहमान–आयत–9)** "नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है जो लोगों से तो पूरा नाप कर लेते हैं मगर जब देना हो तो कम देते हैं।" **(मुतफ़फ़िफ़ीन– आयत 1 से 3)** फ़रमाने रसूल सल्ल. है "जो कौम नाप तौल में कमी करती है उसे क़हत साली, (सूखा) मंहगाई और ज़ालिम हाकिम के ज़ुल्म में जकड़ लिया जाता है।" **(इब्ने माज़ा–4019–सही)**

(7) कारोबार में धोखा करनाः– कारोबार में धोखा, फ्राड या मिलावट करके पैसा कमाना हराम है। क्योंकि जब एक दफ़ा रसूल सल्ल. का गुज़र

बाज़ार में गल्ले (अनाज) के ढेर से हुआ और आप सल्ल. ने गल्ले वाले से पूछा कि यह क्या है? तो उसने बताया कि बारिश ने इसे भिगोदिया है। तो आप सल्ल. ने फ़रमाया "उसे (गीले अनाज को) तुमने ऊपर क्यों न रखा? ताकि लोग इसे देख लेते। जो शख़्स धोखा करे उसका मुझसे कोई तअल्लुक नहीं।" **(मुस्लिम–284 तिर्मिज़ी–1171)**

(8) रिश्वत लेना:– किसी का कोई काम करके या करवा कर या किसी हकदार को उसके हक से मेहरूम करने के लिए रिश्वत लेना लअनत का सबब है। इसलिए कि रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "अल्लाह की लअनत होती है रिश्वत देने वाले पर, लेने वाले पर और उस पर भी जो उन दोनों के बीच मामला तय करवाता है।"

(अबुदाऊद–3580 & अहमद–22452–सही)

और यह कि "जो शख़्स (किसी हाकिम या ओहदेदार से) किसी की सिफ़ारिश करे। फिर उस सिफ़ारिश के बदले उसे कोई तोहफ़ा दिया जाए और वह उसे क़ुबूल करे तो वह तोहफ़ा क़ुबूल करके सूद के दरवाजों में से एक बड़े दरवाज़े में दाख़िल हुआ।" **(अबुदाऊद–3541–सही)**

हां अगर किसी हकदार को उसका हक़ रिश्वत दिये बग़ैर न मिल रहा हो तो अपना हक़ लेने या अपने पर ज़ुल्म होने से बचने के लिए वह अगर रिश्वत दे तो गुनाहगार न होगा।

(ऊन अल मअबूद–जिल्द–9 सफ़ा–359)

(9) हराम चीज़ों का कारोबार करना:–हराम चीज़ों के कारोबार से होने वाली कमाई हराम ही होती है इसीलिए रसूल सल्ल. ने "कुत्ते की कीमत, ज़ानिया (वैश्या) की आमदनी और नजूमी की कमाई से मना फ़रमाया।"

(मुस्लिम–4009 & बुख़ारी–2237 & तिर्मिज़ी–1139–हसन)

(10) यतीमों का माल खाना:– इर्शादे बारी तआला है " जो लोग यतीमों का माल नाहक़ खाते हैं वोह अपने पेट में आग ही भरते हैं ओर जल्दी ही वह जहन्नम में जाएंगे।" **(निसा–आयत–10)**

और फ़रमाने रसूल सल्ल. है "सात हलाक करने वाले गुनाहों से बचो उन सात में से एक "यतीम" का माल खाना है।"

(11) खयानत करना:– इर्शादे बारी है "अमानत दार पर ज़रूरी है कि अमानत वापिस करे।"

(बक़रह–आयत–283 & निसा–आयत–58) और "ऐ ईमान वालों। खयानत मत करना।" **(अनफ़ाल–आयत–27)** इसलिए कि "ख़यानत करने वाले के फ़रेब को अल्लाह चलने नहीं देता।" **(युसुफ–आयत–12)** और "वह ईमान वाले कामयाब हो गए जो अमानतों का ध्यान रखते हैं।" **(मुअमिनुन–आयत–8 & मआरिज–आयत–32)** रसूल सल्ल. ने मुनाफ़िक की जो तीन निशानियां बतलाई हैं, उनमें से एक अमानत में ख़यानत करना है।" **(बुख़ारी–33 & मुस्लिम–211)** और यह कि "जिस शख़्स को हम कोई ज़िम्मेदारी दें। फिर वह हमसे एक सुई या उससे बड़ी चीज़ को छिपा ले तो यह ख़यानत होगी ओर वह उस चीज़ के साथ क़यामत के दिन हाज़िर होगा।"

(मुस्लिम–4743&अबुदाऊद–3581)

(12) क़र्ज़ ले कर वापिस न करना:– फ़रमाने रसूल सल्ल. है "जो शख़्स इस नीयत से क़र्ज़ ले कि वह उसे वापिस नहीं करेगा तो वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि वह चोर होगा।"

(इब्ने माजा–2410–हसन् सही) कर्ज़दार अगर शहीद भी हो जाए तो जब तक उस पर जो कर्ज़ है वह उसकी तरफ़ से अदा न हो जाए, वह जन्नत में नहीं जा सकेगा।" (नसई–4688–सही)

"एक आदमी की मय्यत को लाया गया। उस पर कर्ज़ था तो आप सल्ल. ने उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ाई फिर जब एक दूसरे शख़्स ने उस कर्ज़ को अदा करने की ज़िम्मेदारी ली। तब आप सल्ल. ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई।" (नसई–4696सही)

हराम कमाने की वजहः–

आज ज़्यादातर लोगों की ज़िन्दगी का मक़सद ही ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाना रह गया है। ख़्वाह वह हराम या ना जाइज़ ज़राए से आए या जाइज़ व हलाल तरीक़े से उन्हें तो बस दौलत से मतलब है। यह जो हलाल व हराम की तमीज़ भुला दी जा रही है, उसकी यह कुछ वुजूहात हैं।

(1) अल्लाह का डर नहीं रहाः– अल्लाह का खौफ़ और उसके अज़ाब का डर बहुत कम लोगों में रह गया है। लोगों की अक्सरियत अल्लाह से बेखौफ़ नज़र आती है। इसलिए कि अल्लाह का डर अगर होता तो न नाप–तौल में कमी होती और न सूदी लेन–देन होता, न माल में मिलावट की जाती और न किसी को धोखा दिया जाता, न रिश्वत ली जाती और न डाका डाला जाता, न ख़यानत की जाती और न कोई चोरी करता, न कोई जुआ खेलता और न लाटरी या सट्टा लगाता, न झूटी कसम खा कर माल बेचता और न ही हराम चीज़ों का कारोबार करता, न यतीमों का माल खाता और न फ़र्ज़ी मदरसों के लिए चन्दा लाता।

आज मुसलमानों में इन बुराईयों का पाया जाना क्या इस बात का सबूत नहीं कि उनके दिलों से अल्लाह का डर ज़ाता रहा।

(2) रातों–रात मालदार बनने की चाहः– बहुत से लोग रातों–रात मालदार बनने की चाहत में हराम ज़राय इस्तेमाल करने लगते हैं। बस आनन–फ़ानन में लोगों से आगे निकल जाने की चाह उन्हें हराम कमाई की तरफ ले जाती है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि रोज़ी देने वाला अल्लाह है और रिज़्क़ के फ़ैसलें अल्लाह ही की तरफ़ से होते हैं। "अल्लाह अपने बन्दों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी को बढ़ा देता है और जिसे चाहता है, उसे कम देता है। बेशक् वह हर चीज़ को खूब जानता है।" **(अन्कबूत–आयत–62)** रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "बेशक! जिब्रील अलैहि. ने मेरे दिल में यह बात डाल दी है कि तुम में से कोई शख़्स इस दुनिया से नहीं जाएगा, जब तक वह अपना रिज़्क़ पूरा–पूरा हासिल न कर ले। लिहाज़ा तुम अल्लाह से डरते रहो और रिज़्क़ पाने के लिए हलाल ज़राए ही इस्तेमाल करो। अगर कोई शख़्स यह मेहसूस करे कि उसके रिज़्क़ में देरी हो रही है तो वह उसे अल्लाह की ना फ़रमानी करके पाने की कोशिश न करे। क्योंकि अल्लाह का फ़ज़्ल उसकी नाफ़रमानी करके हासिल नहीं किया जा सकता।" **(सिलसिला अहादीस अल सहीहा–2607)**

(3) हराम कमाई के अन्जाम से ला इल्मी :– बहुत से लोग जो हराम तरीक़ो से माल कमाते हैं। वोह रसूल सल्ल. के इस फ़रमान से अन्जान हैं या फिर इसे भूले हुए हैं कि "वह गोश्त (जिस्म) जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से हो वह जहन्नम की आग का ज़्यादा हकदार है।" **(तिर्मिज़ी–557–सही)**

(4) लालचः– लालच इन्सान को अन्धा बना देता है। जबकि फ़रमाने रसूल सल्ल. है "ऐसे दो भूखे भेड़िये जिन्हें बकरियों में छोड़ दिया जाए। वोह उनमें

उतनी ख़राबी नहीं करते जितनी ख़राबी माल व मन्सब पर बन्दे की लालच की वजह से उसके दीन में होती है।" (तिर्मिज़ी–2173–सही)

हलाल रिज़्क ही आख़िर क्यों?

अब अगर कोई यह कहें कि 'रिज़्क हलाल ही क्यों? तो उसका जवाब यह है कि

(1) यह अल्लाह का हुक्म है।

(2) रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब इन्सान को कोई परवाह नहीं होगी कि उसने माल कैसे हासिल किया, हलाल तरीक़े से या हराम तरीक़े से?"
(बुख़ारी–2059 & 2083)

(3) क़यामत के दिन हर इन्सान से माल के बारे में दो सवाल ज़रूर होने हैं– माल कहा से कमाया? और कहां ख़र्च किया? जैसा कि रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "क़यामत के दिन (इन) पांच सवालों के जवाब देने से पहले किसी इन्सान के क़दम अपने रब के पास से हिल न सकेंगे

(1) उमर (ज़िन्दगी) किन कामों में बिताई?
(2) जवानी किन बातों में गुज़ारी?
(3) माल कहां से कमाया?
(4) माल कहां ख़र्च किया? और
(5) अपने इल्म पर कितना अमल किया? (तिर्मिज़ी–2214–सही)

कोई यह कह सकता है कि जब अल्लाह तआला ने कमाई के लिए कोशिश व मेहनत करने का हुक्म दिया है तो फिर इन्सान आज़ाद है जो चाहे कमाए और जैसे चाहे कमाए। मगर ऐसा सोचना ग़लत है क्योंकि इन्सान आज़ाद नहीं बल्कि इस बात का पाबन्द है कि हलाल कमाए और जाइज़ ज़रियों ही से रिज़्क को पाने की कोशिश करे। क्योंकि इर्शादे बारी तआला है "ऐ लोगों! तुम ज़मीन में से सिर्फ़ वो चीज़े खाओ जो हलाल व पाक हों।" (बक़रह–आयत–168) और ख़ास मोमिनों से मुख़ातिब हो कर फ़रमाया "ऐ ईमान वालों! अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करते हो तो हमने तुम्हें जो पाकीज़ा चीज़े दी हैं, उन्हीं में से खाओं।" (बक़रह–आयत–172)

इन दो आयतों से पता चला कि हम सिर्फ़ हलाल व पाक चीज़े ही खा सकते हैं और हलाल वही चीजें हो सकती हैं जिन्हें अल्लाह व उसके रसूल सल्ल. ने हलाल कहा है और जिसे जाइज़ तरीक़े से हासिल किया जाए। इसी तरह नापाक चीज़े और नाजाइज़ ज़राए से हासिल कमाई हराम है।

अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी को हलाल रिज़्क़ ही अता करे व हराम से बचाए। लालच से दूर रखे और हलाल रिज़्क़ पर सब्र करने की तौफ़ीक़ दे और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन!

माख़ूज़
ज़ादुल ख़तीब
डा. मु. इसहाक़ ज़ाहिद

आपका दीनी भाई